संख्या–1270/पॉच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 12 जून, 2020

विषयः–निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड–19 टेस्टिग हेतु सैम्पल कलेक्शन सेन्टर स्थापित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि कोविड–19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु टेस्टिंग का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रदेश सरकार प्रयोगशालाओं के नेटवर्क को विस्तारित कर टेस्टिंग की क्षमता को बढा रही है। आई0सी0एम0आर0 के द्वारा निजी क्षेत्र की कुछ प्रयोगशालाओं को भी कोविड–19 के संदिग्ध नमूनों की जॉच करने हेतु अधिकृत किया गया है।

2– शासन के संज्ञान में यह आया है कि निजी प्रयोगशालाओं द्वारा की जा रही जॉचों की सही–सही जानकारी संबंधित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी को उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। कई प्रकरणों में दूसरे प्रदेशों में स्थित निजी प्रयोगशालाओं के द्वारा प्रदेश के जनपदों में बिना कोई कलेक्शन सेन्टर स्थापित किए हुए ही नमूने संग्रहित किए जा रहे है, जिससे यह कार्य सुव्यवस्थित तरीके से नहीं हो रहा है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि निजी प्रयोगशालाओं को जनपदों में अपने सैम्पल कलेक्शन सेन्टर स्थापित करने होंगे जिसकी सूचना जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। नमूना लेने के तुरन्त बाद उ0प्र0 सरकार के पोर्टल upcovid19tracks.in पर इनका विवरण दर्ज कराना होगा तथा नमूनों के परीक्षण के पश्चात् भी उक्त पोर्टल पर इनका परिणाम दर्ज करना होगा। निजी प्रयोगशालाओं द्वारा लिए गए नमूनों के परिणाम के संबंध में जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी तथा प्रदेश के राज्य सर्विलांस आफिसर को जानकारी उपलब्ध करानी होगी। उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं करना महामारी अधिनियम 1897 के अन्तर्गत जारी विनियम का उल्लंघन होगा तथा तद्नुसार इन प्रयोगशालाओं के विरूद्ध समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

भवदीय,
12.6.20
(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव

संख्या–1270(1)/पॉच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
3– निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

sunil sir go com-3